



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

पत्रांक

/निदेश(परि०)/उपाकालि/ 11-20

दिनांक 19/06/2025

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक 17.06.2025 को विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा के 33/11 के०वी० उपस्थान, रिखणीखाल के अन्तर्गत घटित घातक विद्युत दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित क्षेत्र के अवर अभियन्ता श्री शुभम कुमार को प्रथम दृष्टिया दोषी मानते हुए, तत्काल प्रभाव से कार्यालय ज्ञाप सं० 2851/निदेश(परिचालन)/उपाकालि/एम-20 दिनांक 19.06.2025 के माध्यम से निलम्बित किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत सम्बन्धित क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से सुनिश्चित किये जाने हेतु कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप सं० 1827/अधि०निदेश(मा०सं०)/उपाकालि/ दिनांक 25.04.2025 के अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के आलोक में एतद्वारा कारपोरेशन कार्यहित में अधोनामित कार्मिक को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में वर्णित कार्यालय/स्थान से स्थानान्तरित कर स्तम्भ-4 में वर्णित कार्यालय/स्थान पर अग्रिम आदेशों तक तैनाती हेतु आदेशित किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय/स्थान	नव-तैनाती का कार्यालय/ स्थान/ अतिरिक्त कार्यभार
-01-	-02-	-03-	-04-
1.	श्री कुलदीप सिंह रावत, अवर अभियन्ता	33/11 के०वी० उपस्थान जयहरीखाल (विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार)	33/11 के०वी० उपस्थान रिखणीखाल (विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा) अतिरिक्त कार्यभार:- 33/11 के०वी० उपस्थान जयहरीखाल (विद्युत वितरण खण्ड, कोटद्वार)

यह भी आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त स्थानान्तरित कार्मिक के नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि वे संबंधित स्थानान्तरित कार्मिक को एक दिवस के भीतर कार्यमुक्त करेंगे। अन्यथा की स्थिति में उपरोक्त कार्मिक एक दिवस की समाप्ति पर स्वतः ही कार्यमुक्त मान लिये जायेंगे एवं संबंधित नियंत्रक अधिकारी इस संबंध में यथोचित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अविलम्ब अधिशासी निदेशक(मा०सं०) कार्यालय को अनुपालन आख्या प्रेषित करेंगे।

उपर्युक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

पत्रांक 2867 /निदेश(परि०)/उपाकालि/

निदेशक(परिचालन)

तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि।
2. अधिशासी निदेशक(मानव संसाधन), उपाकालि।
3. मुख्य अभियन्ता(वितरण), उपाकालि, गढ़वाल क्षेत्र।
4. महाप्रबन्धक(वित्त) वेतन एवं भत्ते, उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
5. अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण मण्डल, श्रीनगर।
6. अधिशासी अभियन्ता, उपाकालि, विद्युत वितरण खण्ड, नैनीडांडा/कोटद्वार।
7. अधिशासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्रा०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
8. सम्बन्धित कार्मिक।

(एम०आर० आर्य)

निदेशक(परिचालन)